

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

एस.वी.सिविल याचिका संख्या 11285/2020 बल्लाराम बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर, द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.11.2020 में अप्राथीगण को याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को निस्तारित करने के निर्देश दिये गए।

याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि याचिकार्थी वर्तमान में राउमावि, धीरजी भाटियान, तहसील शिव, जिला बाड़मेर में अध्यापक लेवल-2 (शालादर्पण अनुसार) के पद पर कार्यरत है जबकि याचिकार्थी का गृह जिला नागौर है। याचिकार्थी के कथनानुसार याचिकार्थी की पुत्री एवं पत्नी गंभीर रोग से पीड़ित हैं जिसके कारण याचिकार्थी को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अतः याचिकार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर बाड़मेर जिले से नागौर जिले में निवास स्थान के समीप किसी विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापन करने की मांग की है।

याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.11.2020 के परिप्रेक्ष्य एवं विभागीय नियमों, अभिलेखीय व नीतिगत स्थिति के सम्बन्ध में गहन अवलोकन व परीक्षण किया गया। राजस्थान शिक्षा (रा.श.प. एवं अधीनस्था) सेवा नियम-2021 के अनुसार अध्यापक लेवल-2 का पद जिला स्तर का पद है, जिसका राजम नियुक्ति अधिकारी संबंधित जिले का जिला शिक्षा अधिकारी है। रोस्टर का संधारण संबंधित नियुक्ति अधिकारी द्वारा ही किया जाता है। अध्यापक लेवल-2 का पद जिला कैंडर का होने के कारण जिला परिवर्तन कर स्थानान्तरण करने से जिलारस्तरीय रोस्टर प्रभावित होता है। अध्यापक लेवल-2 के पद जिले में उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर विभाग द्वारा जिलेवार एवं वर्गवार ही विज्ञापित किये जाते हैं एवं चयनित अभ्यर्थियों को जिलेवार व वर्गवार ही नियुक्ति दी जाती है। अन्य जिले में स्थानान्तरण कर जिला परिवर्तन किये जाने से जिलों में उपलब्ध पदों के विरुद्ध प्रस्थापन तत्त अनुपात असंतुलित हो जाएगा जिससे अवस्था होगी तथा शिक्षण व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो कि क्षेत्रीय एवं विभाग के अनुकूल नहीं है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा भी एस.वी.सिविल याचिका संख्या 11311/2015 श्वेता बनाम सरकार में यह निर्णय पारित किया है कि "the appointment can be claimed as a matter of right but posting can not be claimed as a matter of right because it is the prerogative of the employer to take work from the employee as per availability of post." इस प्रकार कार्मिक द्वारा इच्छित स्थान पर स्थानान्तरण की मांग अधिकाररूप नहीं की जा सकती। कार्मिक की पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर कार्मिक के पक्ष में स्थानान्तरण का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण हेतु वर्णित परिस्थितियों का विभागीय स्तर पर एक नयमा के परिप्रेक्ष्य में ही विचार किया जा सकता है। विभाग द्वारा प्रशासकीय व्यवस्था, राज्यहित, लोकहित व धात्र हितों को ध्यान में रख कर ही स्थानान्तरण किए जाते हैं। याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन में पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर अन्तर जिला स्थानान्तरण हेतु की जा रही मांग तर्कसंगत एवं न्यायसंगत नहीं है।

अतः याचिकार्थी द्वारा बाड़मेर जिले से नागौर जिले में स्थानान्तरण करने हेतु की जा रही मांग उपर्युक्त वस्तुस्थिति एवं विभागीय नियमों के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं पाई गई है। मांग उचित नहीं पाए जाने के कारण इस मांग को अर्चवृत्त की जाकर याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

सत्यमेव जयते

(गौरव अग्रवाल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,

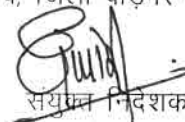
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक:- 8/7/22

क्रमांक- शिवेश-मा./संस्था/एफ-2/कांके/जोध/13244/2020

प्रतिनिधि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) विधि, जोधपुर
2. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, बाड़मेर
3. सार्वजनिक रजिस्ट्रार, कार्यालय हाजा
4. माध्यमिक निदेशक (विधि), कार्यालय हाजा की अनौ.टि. क्रमांक: शिवेश/माध्य/विधि/बी-2/जोध/नि0/29889/बी/2022/4 दिनांक: 30.06.2022 के क्रम में।
5. याचिकार्थी बल्लाराम, अध्यापक लेवल-2, राउमावि, धीरजी भाटियान, तहसील शिव, जिला बाड़मेर (रजिस्टर्ड)
6. रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)